

।।कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर।।

(8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड़ ,मण्डोर, जोधपुर नं. 0291-2577259, फ़ैक्स न. 0291-2577966)

(E-mail:- rfsf.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : - 578

दिनांक 15.10.2020

नीलामी सूचना

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर के निम्न विवरणानुसार अनुपयोगी/नाकारा सामान/उपकरणों की नीलामी की जानी है :-

क्र. सं.	समान का विवरण	पुस्तक मूल्य (लाख रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि रुपयों में	नीलामी की दिनांक समय व स्थान
1	फर्नीचर, इलेक्ट्रिक उपकरण प्रयोगशाला उपकरण व मशीनें, बिजली का पुराना सामान, लोहे की कुर्सियां व सामान, पंखे, कूलर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, व एसेसरीज, पुराना UPS, बैटरियां, फ्रिज, पुराना स्टेबलाइजर	₹ 13.2643 लाख	₹ 26,500/-	दिनांक 09.11.2020 बोली प्रतिभूति जमा : 11.00 से 12.00 बजे तक बोली प्रारम्भ : 12.00 बजे से बोली स्थान: कार्यालय परिसर

नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म नीलाम किए जाने वाले सामान का विवरण तथा नीलामी की शर्तें और विस्तृत विवरण कार्यालय समय में कार्यालय परिसर में तथा विभागीय वेबसाइट <http://www.home.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं।

अतिरिक्त निदेशक
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
जोधपुर।

।।कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर।।

(8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड़ ,मण्डोर, जोधपुर नं. 0291-2577259, फैंक्स न. 0291-2577966)

(E-mail:- rfsf.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in)

नीलामी की शर्तें

1. सामान जहाँ हैं जैसी स्थिति में हैं नीलाम किया जावेगा, नीलामी किये जाने वाले उपकरणों/सामानों की सूची व सामान का निरीक्षण कार्यालय समय में कार्यालय परिसर में उपलब्ध सामानों का किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता हैं।
2. नीलामी की बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि ₹ 26,500/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक 11.00 बजे से 12.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
3. नीलामी समाप्ति पर अंतिम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी दिवस को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि तथा नियमानुसार जीएसटी की राशि आगामी 2 कार्य दिवस में डी.डी. के रूप में जमा कराकर कार्यालय समय में 10 दिवस में सामान को उठाना होगा। सामान समय पर नहीं उठाने पर एवं शेष राशि जमा नहीं कराने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
5. द्वितीय अधिकतम की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की प्रतिभूति राशि उसी दिन बोली समाप्ति के पश्चात् लोटा दी जाएगी।
6. नीलामी हेतु सामान जहाँ है जैसी स्थिति में है नीलाम किया जावेगा।
7. नीलामी बोली में बढ़ोतरी 1000 रुपये के गुणांक में ही स्वीकार होगी।
8. सामान सुपुदगी के पश्चात किसी भी नुकसान/कमी के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
9. सफल अधिकतम बोलीदाता को सामान की डिलीवरी लेने से पूर्व अपनी पहचान एवं स्थाई पते के सत्यापन हेतु समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर रहेगा।



अतिरिक्त निदेशक
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
जोधपुर।